(भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशनार्थ)

सं0 एफ0 9-65/2006-यू.3 (ए)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली.

जून 12 ,2007

अधिसूचना

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने का अधिकार प्राप्त है;

2. और जबकि महर्षि मारकन्डेश्वर शिक्षा न्यास ने केन्द्र सरकार से अपने द्वारा संचालित 10 उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को 'महर्षि मारकन्डेश्वर विश्वविद्यालय' के नाम एवं शैली में सम-विश्वविद्यालय घोषित करने के लिए आवेदन किया था;

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 21 मई, 2007 के अपने अनुशंसा पत्र द्वारा महर्षि मारकन्डेश्वर शिक्षा न्यास को 'महर्षि मारकन्डेश्वर विश्वविद्यालय' के नाम एवं शैली के रूप में सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की सिफारिश की है;

4. अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा 'महर्षि मारकन्डेश्वर विश्वविद्यालय', मुलाना-अम्बाला (हरियाणा), जिसमें नीचे उल्लिखित शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं, को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नीचे उल्लिखित संस्थाओं द्वारा अपने आप को संबंधित सम्बद्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय अर्थात् कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा से असम्बद्ध होने की तारीख से सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है:

(i) एम.एम. इंजीनियरिंग कालेज, मुलाना, अम्बाला;

(ii) एम.एम. कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी एवं बिजनेस प्रबंधन संस्थान, मुलाना, अम्बाला;

(iii) एम.एम. दन्त विज्ञान एवं अनुसंधान कालेज, मुलाना, अम्बाला;

(iv) एम.एम. फिजियोथरेपी एवं पुनर्वास संस्थान, मुलाना, अम्बाला;

(v) एम.एम. कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी एवं बिजनेस प्रबंधन (होटल प्रबंधन) संस्थान, मुलाना, अम्बाला;

(vi) एम.एम. चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, मुलाना, अम्बाला;

(vii) एम.एम. प्रबंधन संस्थान, मुलाना, अम्बाला;

(viii) एम.एम. नर्सिंग कालेज, मुलाना, अम्बाला;

....../2

(ix) एम.एम. फार्मेसी कालेज, मुलाना, अम्बाला; और

(x) एम.एम. चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान नर्सिंग कालेज संस्थान, मुलाना, अम्बाला;

(5) उपरोक्त पैरा 4 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 8 में उल्लिखित शर्तों के भी अधीन है।

(6) भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महर्षि मारकन्डेश्वर विश्वविद्यालय अथवा इसकी किसी संघटक इकाई को कोई योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान नहीं देंगे।

(रवि माथुर)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिसूचना के अनुसार अपेक्षित समीक्षा पर्याप्त समय रहते आयोजित की जाए ताकि स्थायी दर्जा प्रदान करने संबंधी निर्णय उक्त 5 वर्ष की अवधि के समाप्त होने से पहले दिया जा सके।
2. निदेशक, दूरस्थ शिक्षा परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
3. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्दिरा गांधी स्टेडियम, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002
4. अवर सचिव (एमपी-पी.II), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, भारतीय चिकित्सा परिषद, पाकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका फेज-I, नई दिल्ली-110075
6. सचिव, दन्त चिकित्सा परिषद, एवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, टेम्पल लेन, नई दिल्ली-110002
7. सदस्य, भारतीय नर्सिंग परिषद, संयुक्त परिषद भवन, कोटला रोड, टेम्पल लेन, नई दिल्ली-110002

8. अध्यक्ष, महर्षि मारकन्डेश्वर शिक्षा न्यास, 55, मॉडल टाउन, अम्बाला सिटी-134003, हरियाणा। इस अधिसूचना के पैरा 4 में उल्लिखित घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

(i) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत प्रस्तावित सम-विश्वविद्यालय अर्थात् महर्षि मारकन्डेश्वर विश्वविद्यालय के नाम से एक अलग सोसायटी/न्यास स्थापित किया जाएगा। इस न्यास/सोसायटी के पास कानूनी रूप से वैध न्यास डीड होनी चाहिए जिसमें उन संस्थाओं के भी नाम होने चाहिए जो महर्षि मारकन्डेश्वर के भाग हैं।

(ii) इस सोसायटी/न्यास तथा इस अधिसूचना के उपरोक्त पैरा 5 में उल्लिखित शिक्षण संस्थाओं का प्रबंधन समान होना चाहिए।

(iii) छात्रों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों के भविष्य के हितार्थ तथा उच्च शिक्षा के मानदण्डों को बनाए रखने के लिए इस अधिसूचना के उपरोक्त पैरा 4 में उल्लिखित शिक्षण संस्थाओं की सभी चल और अचल परिसम्पितियॉं सम विश्वविद्यालय के प्रबंध के लिए गठित न्यास/सोसायटी के पूर्ण नियंत्रण में आ जाएंगी।

(iv) महर्षि मारकन्डेश्वर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेशों के अनुसार परिसम्पत्तियों के निर्धारण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व अनुमति के बिना अपनी परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण न करने के संबंध में वैधानिक हलफनामा देगी जिसमें यह प्रावधान भी होगा कि समविश्वविद्यालय बंद होने अथवा भंग होने की स्थिति में ये परिसम्पत्तियॉं आदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियंत्रण में आएंगी।

(v) महर्षि मारकन्डेश्वर विश्वविद्यालय और इसका प्रबंध करने वाला न्यास/सोसायटी व्यावसायिक और लाभ कमाने वाले स्वरूप के कोई कार्यकलाप शुरू नहीं करेंगे।

(vi) महर्षि मारकन्डेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम संबंधित सांविधिक परिषदों जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद आदि द्वारा निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों के अनुरूप होंगे।

(vii) महर्षि मारकन्डेश्वर विश्वविद्यालय अथवा इसकी कोई संघटक इकाई ऐसा कोई भी पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम प्रदान/संचालित नहीं करेंगे जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद आदि जैसी प्रासंगिक सांविधिक परिषदों, जैसा भी मामला हो, से अनुमोदित नहीं हों।

(viii) महर्षि मारकन्डेश्वर विश्वविद्यालय, ऐसे ही पाठ्यक्रम/कार्यक्रम प्रदान करेंगे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आदि के निर्धारित प्रासंगिक मानदंडों तथा दिशानिर्देशों के अनुरूप हो। डिग्री प्रदान करने के उद्देश्यार्थ विश्वविद्यालय द्वारा आरंभ किए गए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अनुसार होने चाहिएं।

(ix) प्रासंगिक सांविधिक परिषदों और अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा छात्रों के दाखिले,, छात्रों की दाखिला क्षमता, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम, पाठ्यक्रमों के अनुमोदन, का नवीकरण आदि शुरू करने के संबंध में निर्धारित किए गए सभी मानक एवं प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और विश्वविद्यालय तथा इसकी संघटक इकाई इनका कड़ाई से पालन करेंगी।

(x) इस अधिसूचना के पैरा 4 में उल्लिखित संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के संबंध में महर्षि मारकन्डेश्वर विश्वविद्यालय केवल उन छात्रों को डिग्रियां प्रदान करेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के प्रयोजनार्थ इस अधिसूचना की तारीख के बाद में दाखिल/नामांकित किए गए हों।

(xi) इस अधिसूचना की तारीख से पहले ऊपर के पैरा 4 में उल्लिखित संस्थाओं में नामांकित छात्र इस समय संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय, नामतः कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र, हरियाणा में अपने अध्ययन पाठ्यक्रम जारी रखेंगे और यह विश्वविद्यालय उनके पाठ्यक्रम/कार्यक्रम की परीक्षा लेगा और सफलतापूर्वक पूरे होने पर उन्हें डिग्रियाँ प्रदान करेगा।

(xii) महर्षि मारकन्डेश्वर विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य संबंधित सांविधिक परिषद जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद आदि, जैसा भी मामला हो, अपने पाठ्यक्रमों एवं छात्रों की दाखिला क्षमता आदि के संबंध में नियमित रूप से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित "नवीकरण" हेतु अनुमोदन/अनुमति प्राप्त करेगी।

(xiii) महर्षि मारकन्डेश्वर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 12 मार्च, 2007 के परिपत्र सं. एफ. 6-1(7)/2006 (सीपीपी-I) के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में वैध प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

(xiv) महर्षि मारकन्डेश्वर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और दूरस्थ शिक्षा परिषद के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम संचालित नहीं करेंगे। दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के मामले में संस्थान समय-समय पर दूरस्थ शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेंगें।

(xv) महर्षि मारकन्डेश्वर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई अध्ययन केन्द्र/कैम्पस से बाहर कोई केन्द्र नहीं चलाएंगे।

(xvi) महर्षि मारकन्डेश्वर विश्वविद्यालय, एमएम चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान नर्सिंग कालेज संस्थान के नाम के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा दिये गये सुझाव के कार्यान्वयन के लिए उचित कदम उठाएगा।

(xvii) महर्षि मारकन्डेश्वर विश्वविद्यालय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के क्षेत्र में और अनुसंधान कार्यकलापों/आसपास में सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति, जिसने संबंधित संस्थाओं का दौरा और निरीक्षण किया था, के सुझावों का कड़ाई से कार्यान्वयन और अनुपालन करेगी।

(xviii) महर्षि मारकन्डेश्वर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मॉडल संगम ज्ञापन/नियम के अनुरुप और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहमति से तुरन्त अपने संगम ज्ञापन तथा नियमों को अन्तिम रूप देगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा भारत सरकार द्वारा, यदि कोई, विशिष्ट परिवर्तन/संशोधन किंया जाता है तो सम-विश्वविद्यालय संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहमति से अपने संगम ज्ञापन/नियम में संशोधन करेगा।

(xix) महर्षि मारकन्डेश्वर विश्वविद्यालय, जब और जैसा आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श एवं सहमति से अपने संगम ज्ञापन/नियमो को संशोधित और अद्यतन करेगा। महर्षि मारकन्डेश्वर विश्वविद्यालय और इसकी संघटक संस्थाएं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय मेडिकल परिषद, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद आदि) जैसी प्रासंगिक सांविधिक परिषदों और अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी एवं निर्धारित मानदण्डों एवं दिशानिर्देशों, जो समविश्वविद्यालयों पर लागू होते हैं, का अनुपालन करते रहेंगे।

9. कुलपति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र-136119, हरियाणा। विश्वविद्यालय इस अधिसूचना की तारीख से पहले इस अधिसूचना की पैरा 1 में उल्लिखित संस्थाओं में नामांकित छात्रों की परीक्षा लेगा और उनके पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें डिग्रियाँ प्रदान करेगा।

10. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़

11. आयुक्त उच्चतर शिक्षा, हरियाणा शिक्षा विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़

12. निदेशक तकनीकी शिक्षा, हरियाणा सरकार, सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़-160017

13. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़

(signature)

14. रजिस्ट्रार, हरियाणा नर्स पंजीकरण परिषद, एस सी ओ सं03, सेक्टर 20–बी, चंडीगढ़

15. पत्र सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

16. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए.आई.यू. हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली–2

17. निदेशक (प्रशासन) एवं वेबमास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। यह अनुरोध है कि सी एम आई एस एकक को निदेश दिया जाए कि वह इस अधिसूचना को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट (होम साईट) पर प्रदर्शित करे।

18. गार्ड फाईल/अधिसूचना फाईल

मधुकर सिन्हा 12-06-07

(मधुकर सिन्हा)

निदेशक

I/C CMIS

14/6/07

WS (G...)